



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2007]

नई दिल्ली, बुधवार, सितम्बर 29, 2010/आश्विन 7, 1932

No. 2007]

NEW DELHI, WEDNESDAY, SEPTEMBER 29, 2010/ASVINA 7, 1932

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

(उपभोक्ता मामले विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 29 सितम्बर, 2010

का.आ. 2361(अ).—केन्द्रीय सरकार, आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का 10) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, विनिर्दिष्ट खाद्य पदार्थों से (अनुज्ञापन संबंधी अपेक्षाएं, स्टॉक सीमा और संचलन निर्बंधन) हटाना आदेश, 2002 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित आदेश करती है, अर्थात् :—

1. (1) इस आदेश का संक्षिप्त नाम विनिर्दिष्ट खाद्य पदार्थों से (अनुज्ञापन संबंधी अपेक्षाएं, स्टॉक सीमा और संचलन निर्बंधन) हटाना (संशोधन), आदेश, 2010 है।

(2) यह 1 अक्टूबर, 2010 को प्रवृत्त होगा।

2. विनिर्दिष्ट खाद्य पदार्थों से (अनुज्ञापन संबंधी अपेक्षाएं, स्टॉक सीमा और संचलन निर्बंधन) हटाना, आदेश, 2002 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त आदेश कहा गया है) के उपबंध खंड 5 और खंड 6 के सिवाय निम्नलिखित वस्तुओं—

- दालों, धान और चावल के लिए 30 सितम्बर, 2011 तक की और अवधि;
- खाद्य तेल और खाद्य तिलहन के लिए 31 मार्च, 2011 तक की और अवधि;
- चीनी के लिए 31 दिसम्बर, 2010 तक की और अवधि,

के लिए क्रय, संचलन, विक्रय, प्रदाय, वितरण या विक्रय के लिए भंडारण को लागू नहीं होंगे।

3. उक्त आदेश की कोई बात, इस आदेश के संशोधित रूप में इन वस्तुओं के राज्य से बाहर स्थानों को परिवहन, वितरण या व्ययन को प्रभावित नहीं करेगी और न ही इन वस्तुओं के आयात पर लागू होगी :

परंतु केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार आयातकर्ताओं को यह निदेश दे सकेगी कि वे इन वस्तुओं के स्टॉकों की प्राप्ति और उनके द्वारा धारित स्टॉकों की घोषणा करें।

स्पष्टीकरण—यदि कोई थोक विक्रेता या फुटकर विक्रेता या व्यौहारी यह प्रदर्शित करने में समर्थ है कि उसने दालों, धान, चावल, खाद्य तेलों और खाद्य तिलहनों के संबंध में अपने स्टॉक का भाग आयात से प्राप्त किया गया है तो उन्हें स्टॉक सीमाओं की संगणना के प्रयोजन के लिए अपवर्जित किया जाएगा।

4. उक्त आदेश के अन्य सभी उपबंध इस आदेश के खंड 2 में विनिर्दिष्ट अवधि के दौरान भी प्रवर्तन में बने रहेंगे।

[फा. सं. 10/1/2006-ईसीआर एंड ई]

राकेश कक्कड़, अपर सचिव

टिप्पण :—मूल आदेश, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में संख्यांक सा.का.नि. 104(अ), तारीख 15 फरवरी, 2002 द्वारा प्रकाशित किया गया था और संशोधन सा.का.नि. 490(अ), तारीख 16 जून, 2003, का.आ. 1373(अ), तारीख 29 अगस्त, 2006, का.आ. 297(अ), तारीख 27 फरवरी, 2007, का.आ. 1488(अ), तारीख 31 अगस्त, 2007, का.आ. 400(अ), तारीख 28 फरवरी, 2008, का.आ. 823(अ), तारीख 7 अप्रैल, 2008, का.आ. 2117(अ), तारीख 27 अगस्त, 2008, का.आ. 2118(अ), तारीख 27 अगस्त, 2008, का.आ. 2247(अ), तारीख 22 सितम्बर, 2008,

का.आ. 2248(अ), तारीख 22 सितम्बर, 2008, का.आ. 2249(अ), तारीख 22 सितम्बर, 2008 का.आ. 649(अ), तारीख 9 मार्च, 2009, का.आ. 880(अ), तारीख 30 मार्च, 2009, का.आ. 905(अ), तारीख 2 अप्रैल, 2009, का.आ. 906(अ), तारीख 2 अप्रैल, 2009, का.आ. 1621(अ), तारीख 2 जुलाई, 2009 और का.आ. 2461(अ), तारीख 25 सितम्बर, 2009 और का.आ. 3249(अ), तारीख 18 दिसम्बर, 2009 द्वारा प्रकाशित की गई थी।

MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION

(Department of Consumer Affairs)

ORDER

New Delhi, the 29th September, 2010

S.O. 2361(E).—In exercise of the powers conferred by Section 3 of the Essential Commodities Act, 1955 (10 of 1955), the Central Government hereby makes the following order further to amend the Removal of (Licensing Requirements, Stock Limits and Movement Restrictions) on Specified Foodstuffs Order, 2002, namely:—

1. (1) This order may be called the Removal of (Licensing Requirements, Stock Limits and Movement Restrictions) on Specified Foodstuffs (Amendment) Order, 2010.

(2) It shall come into force on the 1st day of October, 2010.

2. The provisions of the Removal of (Licensing Requirements, Stock Limits and Movement Restrictions) on Specified Foodstuffs Order, 2002 (hereinafter referred to as the said Order) except clauses 5 and 6, shall not apply to—

- (i) pulses, paddy and rice for a further period up to 30th September, 2011
- (ii) edible oils and edible oilseeds for a further period upto 31st March, 2011
- (iii) sugar for a further period up to 31st December, 2010 in respect of the purchase, movement, sale, supply, distribution or storage for sale of these commodities.

3. Nothing contained in the said Order, as amended by this Order, shall affect the transport, distribution or disposal of these commodities to places outside the State nor shall it be applicable to import of these Commodities:

Provided that the Central Government or the State Government may direct the importers to declare the receipts of stocks of these commodities and stocks retained by them.

Explanation: If a wholesaler or retailer or dealer is able to demonstrate that part of his stocks in respect of pulses, paddy, rice, edible oils and edible oilseeds are sourced from imports, then they shall be excluded for the purpose of calculation of stock limits.

4. All other provisions of the said Order shall continue to remain in force even during the period specified in clause 2 of this Order.

[F.No. 10/1/2006-ECR & E]

RAKESH KACKER, Addl. Secy.

Note:—The principal order was published in the Gazette of India, Extraordinary, *vide* number G.S.R. 104(E), dated the 15th February, 2002 and subsequently amended by numbers G.S.R. 490(E), dated the 16th June, 2003, S.O. 1373 (E) dated the 29th August, 2006, S.O. 297(E), dated the 27th February, 2007, S.O. 1488(E), dated the 31st August, 2007, S.O. 400(E), dated the 28th February, 2008, S.O. 823(E), dated the 7th April, 2008, S.O. 2117(E), dated the 27th August, 2008, S.O. 2118(E), dated the 27th August, 2008, S.O. 2247(E), dated the 22nd September, 2008, S.O. 2248(E), dated the 22nd September, 2008, S.O. 2249(E), dated the 22nd September, 2008, S.O. 648 (E), dated the 9th March, 2009, S.O. 880(E), dated the 30th March, 2009, S.O. 905(E), dated the 2nd April, 2009, S.O. 906(E), dated the 2nd April, 2009, S.O. 1621(E), dated the 2nd July, 2009 and S.O. 2461(E), dated the 25th September, 2009 and S.O. 3249 (E), dated the 18th December, 2009.